रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 371] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 9, 1982/अग्रहायण 18, 1904

No. 371] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 9, 1982/AGRAHAYANA 18, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

सा०का०नि० 744(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये प्रथम जनवरी, 1983 से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 के भाग 9 में नियम 519 में, शीर्षक "क—किराया" के अन्तर्गत मद (7) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"इलैक्ट्रानिक टैलीफोन एक्सचेंज

(8) संक्षेप में डायल करना	
(क) एकल अंक डायल संकेत के लिये	240.00 रु० प्रतिवर्ष
(ख) दो अंक डायल संकेत के लिये	720.00 रु० प्रतिवर्ष
(ग) संख्याओं में परिवर्तन के लिये	40.00 रु० प्रतिवर्ष
(9) सीधी कॉल (हॉट लाइन)	720.00 रु. प्रतिवर्ष
(10) सामूहिक संख्या समूह	240.00 रु० प्रतिवर्ष
(11) अभावी अवधि की स्वचालित सलाह और प्रशिक्षित कॉलर डाउन	240.00 रु० प्रतिवर्ष
(12) बहुसम्बोधन सेवा	2.00 रु० प्रति सफल बहुसम्बोधन कॉल
(13) विलम्बित परिदान	"183" डायल करके संदेश देने के लिये प्रभार स्थानीय कॉल दरों पर उद्ग्रहीत किये जायेंगे। बुलाए गये पक्ष को संदेश के प्रेषण के लिये, उसी प्रकार प्रभारित किया जायेगा, जैसे समय और जोन मीटरिंग सिद्धान्त पर दूरस्थ कनैक्शन के लिए प्रभारित किया जाता है। बुलाने वाले पक्ष को अभिस्वीकृति देने के लिये कोई प्रभार उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा।"

[फा०सं० 2-8/82-भार०]

टी० एम० सुब्रह्मनियम, अपर सचिव एवं सदस्य, डाक-तार बोर्ड

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1982

G.S.R. 744(E.)—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Third Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the 1st January, 1983.

2. In Part IX of the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 519, under heading "A—Rental", after item (vii) and the entries relating thereto, the following shall be added, namely:—

"For Electronic Telex Exchanges

(viii) Abbreviated dialling:—		
(a) For single digit dial codes	Rs. 240/-	per annum
(b) For two digit dial codes	Rs. 720/-	per annum
(c) For change of numbers	Rs. 40/-	per change
(ix) Direct Call (Quick line)	Rs. 720/-	per annum
(x) Collective number group	Rs. 240/-	per annum per group
(xi) Automatic advice of chargeable duration and partial clear down	Rs. 240/-	per annum
(xii) Multi address Service	Rs. 2/-	per successful multi address call.
(xiii) Delayed delivery	For inputting message by dialling '183', charges shall be levied at Local call rates. The transmission of message to the called party shall be charged for as for a long distance connection on time and zone metering principle. No charge is to be levied for the acknowledgement given to the calling party".	

[File No. 2-8/82/R]

T. S. SUBRAMANIAN, Additional Secretary and Member, P&T Board.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI-110054, 1982